GCMS-2020/00164

न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 75/2020 बउनवानी डॉ0भूपेन्द्र सिंह यादव बनाम लो.सू.अधि.एवं उपजिला कले./तहसीलदार खण्ड
पुत्र स्व.श्री शेरसिंह यादव,निवासी 34 अल्कापुरी ए मुरलीपुरा जयपुर, प्र.अ. राजस्व/चुनाव/समाधान/विकास अनुभा

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

02.12.2020 पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। सहायक लोक सूचना एवं उपजिला कलेक्टर/तहसीलदार खण्डार/प्र.अ. राजस्व/चुनाव/समाधान/विकास अनुभाग की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 16.09.2020 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसको अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के पत्रांक एफ.2(198) सूकाअ/2020/2036–37 दिनांक 29.9.2020 द्वारा अधिनियम की धारा 6(3) के तहत सहायक लोक सूचना एवं उपजिला कलेक्टर/तहसीलदार खण्डार/प्र.अ.राजस्व/चुनाव/समाधान/विकास अनुभाग को अन्तरित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:–

1. यह है कि मा0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के कार्यालय पत्रांक/कोर्ट/प्रा.पत्र बाबत रैफ./2020/2008 दिनांक 20.8.2020 जो तहसीलदार खण्डार का प्रतिवेदन एवं की कार्यवाही मय उक्त पत्र, प्राप्ति एवं निर्णय मय संलग्नक की प्रमाणित प्रति।
2. यह है कि मा0 जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)सवाईमाधोपुर द्वारा कार्यालय पत्रांक निर्वाचन/पराज/शिका/2020/280 दिनांक 4.9.2020 पर उपजिला कलेक्टर खण्डार द्वारा की गयी कार्यवाही,जॉच रिपोर्ट मय प्राप्त रिकार्ड मय संलग्नक मय परिवाद की प्रमाणित प्रति।
3. यह है कि मा0कार्य0मंत्री राजस्व,उपनिवेशन,कृर्षि सिंचित क्षेत्रीय विकास एवं जल उपभोगिता विभाग राज0 सरकार के कार्यालय पत्रांक विस/मंत्री/राजस्व/2020/452 दिनांक 20.7.20 जो जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर राजस्व विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही एवं निर्णय एवं आर्डर शीट मय परिवाद व पत्र व संलग्नक व परिवाद प्राप्ति दिनांक एवं पावती रजिस्टर की प्रमाणित प्रति।
4. यह है कि नामा0 संख्या 973 दिनांक 5.10.2004 तथा उक्त नामा संख्या 1254 दिनांक 19.6. 2012 की प्रमाणित प्रति तथा उक्त नामा0 तहसीलदार खण्डार को दर्ज करने बाबत दोनो रहन बैक ऑफ बडौदा, बहरावण्डा खुर्द शाखा के दर्ज एवं मुक्त के संबंध में प्राप्त पत्रों तथा नामा0 एवं पत्रावली की प्रमाणित प्रति ग्राम दौलतपुरा तहसील खण्डार बाबत ख0न0 530 वगै0।
5. यह है कि सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया(सी.बी.आई.) शाखा छाण द्वारा नामा0 संख्या 1255 दिनांक 26.7.2012 को बैंक के रहन तथा नामा0 संख्या 1388 दिनांक 18.5.2015 रहन मुक्त करने बाबत शाखा प्रबंधक सी.बी.आई छाण द्वारा तहसीलदार खण्डार को प्रेषित पत्र रिकार्ड, पत्रावली एवं खाता संख्या ख0न0 530 वगै. ग्राम दौलतपुरा के उक्त दोनो नामा0 एवं पत्रों एवं रिकार्ड की प्रमाणित प्रति।
6. यह है कि मा0 चुनाव आयोग राजस्थान जयपुर का पत्रांक दिनांक 11.9.2020 बाबत जॉच सरपंच ग्राम दौलतपुरा प.स. खण्डार प्रेषित जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर पर कराई गयी जॉच रिपोर्ट, आर्डर सीट व लिये गये निर्णय एवं प्रासांगिक पत्रों की प्रमाणित प्रति।
7. (1)यह है कि दिनांक 10.8.2020 को सरपंच दौलतपुरा तहसील खण्डार द्वारा ख0न0 544/3 में खातेदारी की जमीन पर सरकारी धन से रोड बनाने की जॉच बाबत श्रीमति राजरानी यादव द्वारा प्रस्तुत परिवाद एवं उसपर की गयी कार्यवाही एवं जॉच अधिकारी जॉच रिपोर्ट जो मा0 जिला कलेक्टर स0मा0 को प्रस्तुत किया गया की प्रमाणित प्रति।
   (2). यह है कि दिनांक 10.8.2020 को तहसीलदार खण्डार एवं उपजिला कलेक्टर खण्डार तत्कालीन द्वारा तालाब की जमीन खुर्द बुर्द करने बाबत श्रीमति राजरानी यादव द्वारा मा0 जिला कलेक्टर को प्रस्तुत परिवाद पर की गयी कार्यवाही या जॉच रिपोर्ट तथा श्रीमान जिला कलेक्टर स0मा0 के पत्रांक–समाधान प्रकोष्ठ/813 दिनांक 18.3.2019 एवं समसंख्यक पत्रांक 10.7.2019 पर उपजिला कलेक्टर खण्डार द्वारा की गयी कार्यवाही एवं जॉच रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना सहायक लोक [illegible] अधिकारी एवं तहसीलदार उपजिला कलेक्टर/तहसीलदार खण्डार/प्र.अ. [illegible] अनुभाग द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये [illegible] के नियम 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत [illegible] रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2020.12.28 17:22:02 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर/तहसीलदार खण्डार/प्र.अ. राजस्व/चुनाव/समाधान/विकास अनुभाग को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी उपस्थित पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर खण्डार की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक सू.का.अ.()/2020/1181 दिनांक 23.11.2020 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि बिन्दु संख्या 2 व 7(2) की सूचना जरिये पत्रांक 1119 दिनांक 28.10.2020 से अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग के पत्रांक 5717 दिनांक 13.11.2020 द्वारा अपीलान्ट को बिन्दु संख्या 3 की सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराने हेतु कोपिस्ट कार्यालय हाजा को लिखा जा चुका है। तहसीलदार खण्डार द्वारा जरिये पत्रांक 705 दिनांक 26.11.2020 से अवगत कराया कि अपीलान्ट को बिन्दु संख्या 1,2,4,5,7(2) की सूचना के लिए 378/—रू जमा करवाकर सूचना प्राप्त करने हेतु जरिये पत्रांक 631 दिनांक 26.10.2020 से लिखा गया था किन्तु अपीलान्ट द्वारा वांछित शुल्क जमा नही करवाने के कारण सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। प्रभारी अधिकारी विकास अनुभाग द्वारा जरिये पत्रांक 21391 दिनांक 9.11.2020 से अवगत कराया कि बिन्दु संख्या 7(1) की सूचना के लिए 20/—रू जमा करवाने बाबत जरिये पत्रांक 20545 दिनांक 6.10.20 से लिखा गया था किन्तु अपीलान्ट द्वारा शुल्क जमा नही करवाने के कारण सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। प्रभारी अधिकारी समाधान प्रकोष्ठ के पत्रांक 5055 दिनांक 5.11.2020 से अवगत कराया कि अपीलान्ट को बिन्दु संख्या 7(2)मे चाही गयी सूचना के लिए 12/—रू जमा करवाने बाबत जरिये पत्रांक 4053 दिनांक 15.10.2020 से लिखा गया था किन्तु अपीलान्ट द्वारा वांछित शुल्क जमा नही करवाने के कारण सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 16.9.2020 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 2 व 7(2) पर उपजिला कलेक्टर खण्डार के कार्यालय संबंधित सूचना अपीलान्ट को उपजिला कलेक्टर खण्डार द्वारा उपलब्ध करवायी जा चुकी है एवं प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग द्वारा बिन्दु संख्या 3 की सूचना अपीलान्ट को निःशुल्क उपलब्ध कराने हेतु जरिये पत्रांक 5717 दिनांक 13.11.2020 से कोपिस्ट कार्यालय हाजा को लिखा गया है, तथा शेष बिन्दु संख्या 1,2,4,5,7(1)(2) की सूचना के लिए तहसीलदार खण्डार द्वारा 378/—रू एवं प्रभारी अधिकारी विकास अनुभाग द्वारा 20/—रू तथा प्रभारी अधिकारी समाधान प्रकोष्ठ द्वारा 12/—रू जमा करवाने बाबत अपीलान्ट को लिखा गया था किन्तु अपीलान्ट द्वारा शुल्क जमा नही करवाये जाने के कारण उक्त बिन्दुओ की सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध नही करवायी गयी है। अतः अपीलान्ट को निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार वांछित शुल्क जमा करवाकर संबंधित कार्यालय/अनुभाग से सूचना प्राप्त करे। इसके अतिरिक्त कोपिस्ट कार्यालय हाजा को निर्देशित किया जाता है कि बिन्दु संख्या 3 की सूचना अपीलान्ट को निःशुल्क भिजवायी जावे। प्रभारी अधिकारी चुनाव अनुभाग द्वारा बिन्दु संख्या 6 की सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध नही करवायी गयी है। अतः उक्त बिन्दु की सूचना 15 दिवस मे अपीलान्ट को नियमानुसार उपलब्ध करवायी जावे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2020.12.28 17:22:02 IST
Reason: SelfAttested